POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 07.09.2025

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 07.09.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाला अभियुक्त इकरार सैफी उर्फ मोटा पुत्र फकीरा सैफी को पैरामाउण्ट चौराहे के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से मृतक नसीम का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, फोटों व मोटर साइकिल की चाबी बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त इकरार सैफी उर्फ मोटा व मृतक नसीम दोनों चचेरे भाई थे। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि दोनों लोग शादीशुदा थे, ग्राम ऐमनाबाद में करीब 04 वर्ष से किराये के मकान में अलग-अलग कमरें रहते थे व दोनो अलग-अलग कारपेन्टर का कार्य करते थे। अभियुक्त ने बताया कि मृतक नसीम द्वारा अभियुक्त की पत्नी के मोबाइल फोन पर अलग-अलग नम्बर पर विडियो कॉल कर बात करने का प्रयास किया जाता व गांव जाने पर उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता था। अभियुक्त ने बताया कि उसने मृतक नसीम को काफी समझाया गया लेकिन वो नही माना। दिनांक 02.09.2025 को मैं ऐमनाबाद में नाले के पास क्रिकेट के मैदान में था, तभी मेरी पत्नी का फोन आया कि मृतक नसीम द्वारा उसे अब भी अलग-अलग नम्बरों से विडियो कॉल कर परेशान किया जा रहा है, जिससे मुझे गुस्सा आया और मैनें नसीम को कॉल कर कही जाने के बहाने से क्रिकेट मैदान बुला लिया। मृतक नसीम अपनी मोटरसाइकिल से क्रिकेट मैदान में आ गया और हम जलपुरा गांव से पहले बिजलीघर के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल को रोककर खड़ी कर दी। अभियुक्त, नसीम से ये कहते हुए मेरी घरवाली को फोन करके क्यों परेशान करता है, नसीम से उसका फोन मांगने लगा तो फोन न देने को लेकर दोनों में धक्का मुक्की होने लगी व अभियुक्त द्वारा नसीम उपरोक्त का गला पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी व उसकी जेब से पर्स (जिसमें नसीम का आधार कार्ड, वोटरकार्ड, पेन कार्ड व फोटों थे) को निकालकर शव को पास में नाली में ढकेल दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. इकरार सैफी उर्फ मोटा पुत्र फकीरा सैफी निवासी ग्राम हैबतपुर चौधरीयान, थाना मण्डी धनौरा, अमरोहा उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 672/2025 धारा 103(1) बीएनएस, थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. मृतक नसीम का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, फोटों व मोटर साइकिल की चाबी।

2.थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा अपने पिता की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 07.09.2025 को थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 388/25 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त उदय पुत्र गौतम को **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 07.09.2025 को वादी मुकदमा द्वारा तहरीर देकर सूचना दी गई कि वादी के भाई गौतम उम्र-43 वर्ष की हत्या मृतक के पुत्र उदय उम्र 19 वर्ष द्वारा संपत्ति के विवाद को लेकर घर में ही पडी ईट से मारकर कर दी गयी है, जिसके संबंध में थाना सेक्टर-113 नोएडा पर मु0अ0सं0 388/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मेरे पिताजी गौतम व मेरे बीच अक्सर संपत्ति को लेकर विवाद होता रहता था तथा मेरे पिता जी मुझे खर्चे व शराब पीने के लिए पैसे भी नहीं देते थे तथा मेरे नाम मकान व संपत्ति आदि नही कर रहे थे। दिनांक 06.09.2025 की शाम को भी हमारा झगडा हुआ था जिसके कारण मैने अपने पिता जी को चारपाई पर लेटे हुये ही कमरे में पडी हुयी ईंट से मारकर उनकी हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. उदय पुत्र गौतम निवसी ग्राम सर्फाबाद, सेक्टर-73 थाना सेक्टर-113, नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र-19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 388/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना सेक्टर-113, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल
2. अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त शर्ट व पेन्ट जोकि घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहनी हुयी थी।